विधुत आपूर्ति store
23/02/23

ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) BIHAR, PATNA
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
Birchand Patel Marg

114
23/2/23

AMG II | Vetting-1 | 2022-23 | IR-76/22-23 | 60 दिनांक 17/02/23

Date: 17 Feb 2023

To,

प्राचार्य राजकीय पोलिटेकनिक , गया

Subject: Issue of Inspection Report : PR-31620

Sir/Madam,

I am to forward herewith theInspection Report,Inspection Report of FV-33638 and to request that your replies may be arranged to be furnished to this office along with your specific remarks within four weeks from the date of receipt of this report.

The receipt of the Inspection Reportmay kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sunita Kumari
Sr. Audit Officer

Encls: As above

Copy to:-

1 निदेशक विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , बिहार ,पटना
2 प्रधान सचिव , वित विभाग , विभाग , बिहार , पटना

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय Government polytechnic, Gaya के लेखापरीक्षा पर निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग –I (परिचय)

कार्यालय Government polytechnic, Gaya की लेखापरीक्षा दिनांक 21/12/2022 से 07/01/2023 तक Audit, Bihar के लेखापरीक्षा दल के निम्नांकित सदस्यों द्वारा की गई:-

नाम	पद	सदस्यता आरंभ	सदस्यता अंत
Md Samiul Haque	Sr. Auditor	14/03/2022	31/01/2023
Ram Sewak Paswan	Sr. Auditor	14/03/2022	19/01/2023
Kamal Kishore	Sr. Audit Officer	26/12/2022	29/12/2022
Manoj Kumar	Sr. Audit Officer	05/01/2023	07/01/2023
Pradeep Kumar	Assistant Audit Officer (Adhoc)	21/12/2022	19/01/2023
Niraj Kumar Singh	Assistant Audit Officer	14/07/2021	19/01/2023

लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण श्री/सुश्री Manoj Kumar No.1, Sr. Audit Officer द्वारा किया गया|

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तावना (भाग-1)

निरिक्षण प्रतिवेदन संख्या- 76/2022-2023

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	प्राचार्य , राजकीय पालिटेकनिक , गया
2	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री हिरण कुमार सिंह
3	लेखा की अवधि	अप्रैल 2014 से नवंबर 2022
4	लेखा परीक्षा की तिथि	21-12-2022 से 07-01-2023 (11 कार्य दिवस)
5	विस्तृत जाँच के माह	दिसंबर 2017 और मार्च 2019
6	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	चयनित माह का विस्तृत जांच,आवंटन और व्यय विवरणी की जांच ;रोकड़ बही के प्रारंभिक शेष और अंतशेष की जांच, क्रयसंचिका,भंडारपंजी, विभिन्न योजनाओ का नमूना जांच,कोषागार सत्यापन इत्यादि
7	विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था	नहीं
8	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री मनोज कुमार न.1 वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री नीरज कुमार सहा-लेखपरीक्षा अधिकारी 3. श्री प्रदीप कुमार सहा-लेखपरीक्षा अधिकारी(तदर्थ) 4 साइयमूल हक सहायक पर्यवेक्षक 4. श्री रामसेवक पासवान व.लेखापरीक्षक
9	विचार विमर्श किया गया था	हाँ, प्रभारी प्राचार्य के साथ दिनांक 07-01-2023 को विचार विमर्श किया ।

दावा अस्वीकारण प्रमाण –पत्र
DISCLAIMER

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, Government Polytechnic, गया के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है | यदि इकाई द्वारा कोई सूचना गलत दी गई है या छिपाई गई है तो उसका उतरदायित्व कार्यालय प्रधान महालेखाकार , बिहार, पटना का नहीं होगा |

Scanned with OKEN Scanner

भाग-II

(लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

भाग –II (अ)

(महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

शून्य

भाग –II (ब)

(अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

कंडिका :-01

सन्दर्भ संख्या: OBS-559869

विषय: Govt. A/c (योजना एवं गैर-योजना) मद के रोकड़ बही का अनियमित संधारण।

बिहार सरकार के कार्यालय में लेखा का संधारण बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 323 एवं 325 तथा 332 एवं 333 के अधीन एकल लेखा प्रणाली के सिद्धांत पर संधारित होते हैं। इसके अन्तर्गत रोकड़ पंजी का संधारण किया जाना आवश्यक है। एक मद/शीर्ष से अधिक से लेन-देन यदि कार्यालय में हो तो सामान्य रोकड़ बही के अतिरिक्त प्रत्येक शीर्ष/मदवार अलग-अलग सहायक रोकड़ बही भी खोला जाना है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी आवश्यक है:-

(क) प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय का रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ विहित प्रपत्र में संधारित है।

(ख) प्रत्येक मौद्रिक लेन-देन के कार्यान्वित होते ही रोकड़ बही एवं सहायक बही में प्रविष्टि की जानी है तथा जाँच के प्रतीक स्वरूप उनके द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना है।

(ग) रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बही नियमित रूप से प्रतिदिन बंद तथा संतुलित की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रोकड़ बही एवं सहायक बही लिखने वाले से भिन्न किसी उत्तरदायी अधीनस्थ से कुल योग तथा अवशेष की जाँच करायेगा तथा वह अधिनस्थ प्रविष्टियों पर अपना लघु हस्ताक्षर करेगा।

(घ) माह के अंत में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रोकड़ बही एवं सहायक बही के अतिशेष की जाँच करेगा तथा व्यय विवरणी तैयार करवा कर उस पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करते हुए नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्रशांसी विभाग को प्रेषित करेगा। प्रत्येक तिमाही के अन्त में रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक से राशि का मिलान कर बैंक समाशोधन विवरणी तैयार की जायेगी।

(i) वित्तीय लेन-देन का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया जाना एवं लेखापरीक्षा हेतु अभिश्रव उपलब्ध नहीं कराया जाना ₹85.34 (8331235+203133) लाख

राजकीय पोलिटेकनिक, गया के अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2022 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान चयनित माह दिसम्बर, 2017 एवं मार्च, 2019 के बैंक विवरणी एवं Govt. A/c रोकड़ बही के

Scanned with OKEN Scanner

अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ कि संबंधित बैंक खाता से किए गए निम्नलिखित वित्तीय लेन-देन का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं पाया गया।

आय		व्यय		
दिनांक	राशि	दिनांक	चेक सं.	राशि
13.12.17	9440.00	15.12.17	912081	28,420.00
13.12.17	9520.00	15.12.17	910280	40,000.00
13.12.17	9970.00	15.12.17	910279	45,000.00
13.12.17	9900.00	27.12.17	910282	3,000.00
		01.03.19	128274	86,064.00
		12.03.19		649.00
Total	38,830.00		Total	2,03,133.00

पुनः चयनित माह में बैंक से (सारणी में वर्णित) की गई व्यय की राशि का अभिश्रव भी लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही नमूना जाँच में यह पाया गया कि मशीन एवं उपस्कर मद में दिनांक 31.03.2017 को चेक सं. 910230 से M/s Krishna Sales Corporation को ₹ 83,31,235.00 का भुगतान (S.V. No.- 11/2016P/17) किया गया जिसका अभिश्रव लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त व्यय की गई राशि की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ii) बैंक के अन्तशेष एवं रोकड़ बही के अन्तशेष में काफी अंतर

पुनः लेखापरीक्षा के नमूना जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि बैंक के अन्तशेष एवं Govt. A/c रोकड़ बही के अन्तशेष में काफी अंतर पाया गया जिसे नीचे के सारणी में देखा जा सकता है :-

दिनांक	रोकड़ बही का अन्तशेष	बैंक का अन्तशेष	अन्तर
31.03.2017	1,02,996.35	1,46,85,990.15	1,45,82,993.80
31.7.2020	Nil	88,358.15	88,358.15

साथ ही रोकड़ बही में प्राचार्य से अनुमोदित टिप्पणी में 29.04.2016 का Closing balance के स्थिति का स्पष्टीकरण के अभाव में दिनांक 01.04.2017 से शून्य मानकर रोकड़ पंजी संधारित किये जाने का उल्लेख था, जो रोकड़ बही का उचित संधारण नहीं है। कार्यालय द्वारा बैंक समाशोधन विवरणी (BRS) भी नहीं बनाया जाता रहा है

(iii) रोकड़ बही का अनियमित संधारण

पुनः लेखापरीक्षा के नमूना जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि Govt. A/c रोकड़ बही में (चयनित माह उप-कंडिका (i) में उल्लेखित) सिर्फ ट्रेज़री से बिल द्वारा निकासी की गई राशि को प्राप्ति पक्ष में एवं उक्त राशि को व्यय करने के पश्चात उसे व्यय पक्ष में लिखा गया था। इसके आलावा बैंक से की गई लेन-देन का लेखांकन नहीं किया गया था जिससे रोकड़ बही से यह ज्ञात नहीं हो रहा था कि बैंक में प्राप्त राशि किससे एवं किस कार्य के लिए प्राप्त हुई एवं बैंक से की गई व्यय/निकासी का भुगतान किसको एवं किस कार्य के लिए किया गया था। अतः बैंक से की गई लेन-देन का लेखांकन नहीं होने की स्थिति में धन/राशि के दुर्वियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

रोकड़ बही का अनियमित संधारण एवं लेखापरीक्षा हेतु अभिश्रव उपलब्ध नहीं किये जाने के कारणों से संबंधित उत्तर में बताया गया कि दिये गये आपत्ति के तथ्यों की जाँच करके इसका समाधान नियमानुसार कर लिया जायेगा तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका :-02

सन्दर्भ संख्या: OBS-558852

विषय:- Idle expenditure: ₹41.56 lakh

According to the Bihar Financial (Amendments) Rule 2005 :-

133(2) All materials shall be counted, measured, weighed and subjected to visual inspection at the time of receipt to ensure that quantities are correct, quality is according to the required specifications and there is no damage or deficiency in the materials. Technical inspection where required should be carried out at this stage by Technical inspector or Agency approved for the purpose. An appropriate receipt, in terms of the relevant contract provisions may also be given to the supplier on receiving the materials.

133(3) Details of the material so received should thereafter be entered in the appropriate stock register. The Officer-in- charge of the store should certify that he has actually received the material and recorded in the appropriate stock registers.

134(2) In the case of issue of material from stock for departmental use, manufacture, sale, etc., the Officer-in-charge of the stores shall see that an appropriate indent, in the prescribed form has been projected by the indenting officer. A written acknowledgement of receipt of material issued shall be obtained from the indenting officer or his authorized representative at the time of issue of materials.

प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, गया द्वारा उपलब्ध कराए गए भंडार पंजी के नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया कि संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता के अनुसार मशीनरी एवं इक्विपमेंट का क्रय किया गया था जो भंडार पंजी में दर्ज था, जिसका विवरण निम्नवत था:-

Sl. No.	Date of entry in stock register	Name of the equipment	Amount	Remarks
1.	13.03.2021	Pitot tube apparatus	48,400	Not issued
2.	13.03.2021	Defected beam apparatus	47,500	Not issued
3.	13.03.2021	Universal LCR bridge	21,750	Not issued
4.	13.03.2021	Ring and ball apparatus	49,300	Not issued
5.	13.03.2021	Plastic limit set	9,980	Not issued
6.	13.03.2021	Rockwell testing machine	4,60,000	Not issued
7.	13.03.2021	Shine bar hardened	18,500	Not issued
8.	13.03.2021	Vee Bee consistomeer	29,950	Not issued
9.	13.03.2021	Capacitor factor	48,500	Not issued
10.	13.03.2021	Fly wheel apparatus	10,000	Not issued
11.	13.03.2021	Shaping machine	4,36,000	Not issued
12.	13.03.2021	Flash and fire	42,500	Not issued
13.	13.03.2021	Automatic LCD	1,13,000	Not issued
14.	13.03.2021	Pendulam impact machine	74,400	Not issued
15.	13.03.2021	Bernoulis theorem	44,500	Not issued
16.	13.03.2021	Hacksaw	1,68,000	Not issued

Scanned with OKEN Scanner

17.	13.03.2021	Mig welding	1,35,000	Not issued
18.	13.03.2021	Torison testing machine	2,12,000	Not issued
19.	13.03.2021	Francis turbine	1,67,900	Not issued
20.	13.03.2021	Universal milling machine	4,83,500	Not issued
21.	13.03.2021	Reynold apparatus	38,999	Not issued
22.	13.03.2021	Pedestal garldner	37,050	Not issued
23.	13.03.2021	Dissolved oxygen	17,800	Not issued
24.	13.03.2021	Test apparatus	14,900	Not issued
25.	13.03.2021	LCD concrete	50,770	Not issued
26.	13.03.2021	Self recording guage	44,500	Not issued
27.	13.03.2021	Flexture testing	1,35,000	Not issued
28.	13.03.2021	Electrnoc total	1,79,500	Not issued
29.	13.03.2021	Slump test	14,000	Not issued
30.	13.03.2021	Ductility testing	1,41,500	Not issued
31.	13.03.2021	Vicate needle apparatus	16,200	Not issued
32.	13.03.2021	Compaction test	24,900	Not issued
33.	04.06.2022	Drawing board	4,07,100	Not issued
34.	04.06.2022	Drawing stool	79,200	Not issued
35.	09.06.2022	Drawing board	1,62,840	Not issued
36.	13.06.2022	Drawing board	1,70,982	Not issued
		Total	41,55,921	

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट था कि कुल रु. 41,55,921 मूल्य की मशीनरी, जिसमें 32 की संख्या में मशीनरी 13.03.2021 से एवं 04 की संख्या में मशीनरी जून 2022 से भंडार में बिना commissioning and installation के पड़ी हुई थी, जिसके कारण इन मशीनरी पर किया गया व्यय अबतक Idle साबित हुआ.

लेखापरीक्षा में आपत्ति उठाये जाने के पश्चात प्रभारी प्राचार्य द्वारा जवाब में कहा गया कि वस्तु स्थिति की जाँच कर भंडार में बचे सामग्री के लिए लेखा परीक्षा को सूचित किया जायेगा. जवाब संतोषप्रद नहीं है क्यूंकि लेखा परीक्षा तिथि तक सामग्री का निर्गमन भंडार पंजी के अनुसार नहीं किया गया था.

कंडिका :-03

सन्दर्भ संख्या: OBS-560016

विषय: सरकारी धन की हुई क्षति की सूचना वित्त विभाग और महालेखाकर को नहीं दिया जाना ₹10.9 लाख ।

राजकीय पालिटेकनिक ,गया के लेखावर्ष अप्रैल 2014 से नवंबर 2022 के लेखापरीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विष्णुपद पुलिस थाना गया का FIR संख्या 240/2019 के अवलोकन से प्रकट हुआ कि दिनांक 06-12-2019 राजकीय पालिटेकनिक गया में परीक्षा के संचालन के दौरान छात्र- छात्राओ के उपद्रव के कारण संस्थान में कम्पुटर /प्रिंटर /प्रयोगशाला के सामान को नुकसान हुआ कागजात भी जलाए गए । कुल नुकसान का अनुमान 10.9 लाख था ।

Scanned with OKEN Scanner

नियमानुसार बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 31 (1) के अनुसार सरकारी धन के हुए नुकसान कि रिपोर्ट तुरंत वित्त विभाग और महालेखाकर को भेजा जाना चाहिय था। परंतु संस्थान द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया था।

इसके कारणो एवं उक्त FIR की वर्तमान स्थिति से संबंधित उत्तर में बताया गया कि दिये गये आपत्ति के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की संस्थान की आर्थिक क्षति की सूचना वित्त विभाग एवं महालेखाकार को सूचित किया जायेगा। इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दे दी जायेगी। जावाब के आलोक में कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका :-04

सन्दर्भ संख्या: OBS-558837

विषय: अनियमित क्रय:- ₹8.20 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली (संशोधित) 2005 के नियम 131 D के अनुसार:-

Purchase of goods by purchase committee:- Purchase of goods costing above Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) and up to Rs.5,00,000/- (Rupees five lakh) only on each occasion may be made on the recommendations of a duly constituted local purchase committee consisting of three members of an appropriate level as decided by the Head of the Department.

प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, गया द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित उपलब्ध कराए गए क्रय संचिका के नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया कि परीक्षा शाखा द्वारा 06/06/2022 से प्रस्तावित बोर्ड की परीक्षा में ड्राइंग बोर्ड की कमी के मद्देनज़र परीक्षा शाखा एवं नियंत्रक द्वारा आवश्यकता के अनुसार लगभग 200 ड्राइंग बोर्ड (स्टैंड सहित) क्रय का प्रस्ताव किया गया था. Gem portal पर क्रय हेतु सूची नहीं होने के कारण विभिन्न फिर्मों से कोटेशन आमंत्रित कर क्रमशः दो बार सप्ताह में 100-100 ड्राइंग बोर्ड खरीदने का प्रस्ताव दिया गया था. विभिन्न फिर्मों से न्यूनतम दर प्राप्ति हेतु गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्रय के लिए कोटेशन आमंत्रित किया गया था, जिसमें Psycho India, (Opp. West end of Science College, Patna) का चयन न्यूनतम दर (L1) होने के कारण किया गया था. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय था कि दिनांक 28.05.2022 एवं 31.05.2022 को उपर्युक्त फर्म को आपूर्ति आदेश का प्रस्ताव एवं अनुमोदन दोनों ही स्वयं प्राचार्य के द्वारा ही दिया गया था. आपूर्ति आदेश का विवरण निम्नवत था:-

Sl. No.	Item	Qty.	Amount (Rs)
1.	Drawing board made of pine wood size 23"*32"	42	170982
2.	Drawing board made of pine wood size 23"*32"	40	162840
3.	Drawing board made of pine wood size 23"*32"	100	407100
4.	Drawing stool made of iron square pipe	40	79200
		Total	820122

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट था कि रु. 820122 ड्राइंग बोर्ड एवं ड्राइंग स्टूल के क्रय के लिए विभिन्न तारीखों को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था जिसका भुगतान भी दिनांक 04/06/2022, 09/06/2022 एवं 13/06/2022 को कर दिया गया था जिससे यह स्पष्ट था कि निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए क्रय आदेश को टुकड़ों में दिया गया था जो उपर्युक्त वित्तीय नियमावली एवं अधिसूचना का उल्लंघन था क्योंकि क्रय समिति द्वारा क्रय की सीमा ₹5,00,000 तक ही निर्धारित है. इससे अधिक के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए था एवं निविदा के आधार पर ही आपूर्तिकर्ता का चयन किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में आपत्ति उठाये जाने के पश्चात प्रभारी प्राचार्य द्वारा जवाब में बताया गया कि परीक्षा को धयान में रखते हुए क्रय समिति द्वारा 100-100 करके ख़रीदा गया है. इसके बाद नियमानुकूल ही क्रय किया जायेगा. जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि क्रय करते समय ही नियमों को धयान में रखते हुए क्रय किया जाना चाहिए था।

कंडिका :-05

सन्दर्भ संख्या: OBS-559877

विषय: अनियमित रूप से अतिरिक्त मानव बल की सेवा प्राप्त किया जाना एवं भुगतान ₹3.78 लाख।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक- वि० प्रा० (I) विविध-23/14 (पार्ट- 2) 3493 दिनांक 26.12.2018 के द्वारा प्रत्येक राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में महिला/पुरुष सहित अवशकतानुसार परन्तु अधिकतम 19 सुरक्षा प्रहरी एवं सफाई एवं बागवानी कार्यो हेतु क्रमशः दो Man Month एवं एक Man Month प्रति माह के समतुल्य सेवा प्राप्त करने हेतु आदेश निर्गत किया गया था।

राजकीय पोलिटेकनिक, गया के अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2022 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सुरक्षा गार्ड से संबंधित उपलब्ध कराये गये संचिका के अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ कि संस्थान द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा कर्मी/सफाई कर्मी/बागवानी कर्मी की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा सं.- 02/2021-22 द्वारा चयनित फर्म M/s Shiva Protection Force Private Limited (Patna) को पत्रांक-GPG/485 दिनांक 19.08.2021 के द्वारा 19 सुरक्षा प्रहरी (सुपरवाइजर सहित), दो सफाई कर्मी एवं एक बागवानी कर्मी (कुल 22) की सेवा दिनांक 26.08.2021 से उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया गया। पुनः संस्थान द्वारा पत्रांक 500A दिनांक 28.08.2021 के द्वारा 03 अतिरिक्त भिन्न-भिन्न category के (एक क्लर्क, एक इलेक्ट्रीशियन एवं एक पलम्बर) मानव बल एकरारनामा के उपबंध के अतिरिक्त दिनांक 28.08.2021 से उपलब्ध कराने के लिये आग्रह किया गया था। फलत: फर्म द्वारा माह सितम्बर, 2021 से उक्त मानव बल की सेवा उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त category के मानव बल की सेवा प्राप्त करने का उपबंध विभागीय आदेश में उल्लेखित नहीं था और न ही इसकी स्वीकृति विभाग से प्राप्त किया गया था। माह सितम्बर, 2021 से अप्रैल, 2022 तक उक्त

मानव बल की सेवा के लिए कुल रु० 378032.79 (अनुलग्नक-I) का भुगतान विभाग से आवंटित राशि (संविदा सेवाएँ) से किया गया था।

विभाग की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त मानव बल की सेवा प्राप्त करने एवं विभागीय आवंटन से भुगतान करने से संबंधित जवाब में बताया गया कि विभाग से पत्राचार करके दिशा-निर्देश मिलने के उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। विभागीय दिशा-निर्देश एवं कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका :-06

सन्दर्भ संख्या: OBS-559117

विषय: विद्युत विलंब अधिभार के रूप में परिहार्य व्यय ₹1.87 लाख

राजकीय पोलिटेकनिक, गया के अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2022 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान विद्युत विपत्र, प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गया (खाता सं.- 2010352376) के भुगतान से संबंधित उपलब्ध कराये गये विवरणी के अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ कि विद्युत प्रभार शीर्ष (1304) के अन्तर्गत राशि उपलब्ध रहने के बावजूद संस्थान द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान ससमय (देय तिथि तक) नहीं करने के कारण विलंब अधिभार के साथ विपत्र का भुगतान करना पड़ रहा था जिससे संस्थान को विलंब अधिभार (DPS) के रूप में ₹1,86,858.00 का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। विवरणी :-

Sl No.	Bill Month	DPS Paid	Bill Amount	Paid through Bill No. & Date
1	Oct, 2020	22958.65	477228.00	32/20-21 & 12.11.2020
2	Feb, 2021	58098.00	277596.00	129/20-21 & 19.03.2021
3	July, 2021	9527.91	290719.00	19/2021-22 & 18.08.2021
4	Jan, 2022	65364.18	311172.00	89/21-22 & 19.02.2022
5	Nov, 2022	30,909.75	615155.00	103/22-23 & 09.12.2022
	Total	186858.49		

संस्थान द्वारा अक्टूबर, 2020 से पूर्व की अवधि के विपत्रों एवं भुगतान से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण उक्त अवधि की विलंब अधिभार की गणना नहीं की जा सकी।

विद्युत प्रभार शीर्ष में राशि उपलब्ध रहने के बावजूद ससमय विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित उत्तर में बताया गया कि नवम्बर, 2022 में विलम्ब भुगतान का कारण CFMS User ID password, DDO का generate नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ। भविष्य में समय पर बिजली भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नवम्बर, 2022 से पूर्व में भी विद्युत विपत्र का भुगतान विलम्ब से किया जा रहा था।

Scanned with OKEN Scanner

कंडिका :-07

सन्दर्भ संख्या: OBS-559904

विषय: रोकड़ बही में अंतशेष की राशि में बड़ी नगद राशि को दिखाया जाना ₹1.59 लाख

राजकीय पालिटेकनिक ,गया के लेखावर्ष अप्रैल 2014 से नवंबर 2022 के लेखापरीक्षा के क्रम में रोकड़ बही के जांच तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए सूची के नमूना जांच में पाया गया कि निम्नलिखित सहायक रोकड़ बहियों में अंतशेष की राशि नगद दिखाई गई थी जबकि कार्यालय / रोकड़ पाल के पास नगद राशि रखने हेतु चेस्ट उपलब्ध नहीं था ।

Sl. No.	Cash book name	Date	Cash in hand	Remarks
1	PMKYP(agriculture)	21.5.2018	26448.00	आगे का रोकड़ बही उपलब्ध नहीं कराया गया
2	CDTP	30.11.22	135.00	आगे का रोकड़ बही उपलब्ध नहीं कराया गया
3	DEV. FUND	31.07.20	39725.00	आगे का रोकड़ बही उपलब्ध नहीं कराया गया
4	IRGS	31.01.22	91842.00	आगे का रोकड़ बही उपलब्ध नहीं कराया गया
5	HOSTEL	31.07.20	1102.00	आगे का रोकड़ बही उपलब्ध नहीं कराया गया
	TOTAL		159252.00	

उपरोक्त बड़ी राशि को नगद रूप में कहाँ रखा गया है , जबकि कार्यालय में चेस्ट उपलब्ध नहीं था, कृपया बताया जाय ।

जवाब में बताया गया कि दिये गये आपत्ति के आलोक में तथ्यों की जाँच कर इसका रिपोर्ट लेखापरीक्षा को दे दिया जायेगा । जवाब के अनुरूप कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय ।

कंडिका :-08

सन्दर्भ संख्या: OBS-559888

विषय: परीक्षा रोकड़ बही के नगद अन्तशेष एवं प्रारंभशेष में अंतर ₹ 83995.00 एवं अभिश्रव का अप्रस्तुतीकरण ₹12555.00

राजकीय पोलिटेकनिक गया के माह अप्रैल 2014 से नबम्बर 2022 के लेखाओ के नमूना लेखा परीक्षा के दौरान परीक्षा रोकड बही, आई.आर.जी.एस. रोकड बही एवं विकास मद रोकड बही के अवलोकन के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई:-

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

6	KYP रोकड़ बही	06.07.2022 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	01.04.2014 से 31.07.2018
7	PMKVY (Electrician) रोकड़ बही	12.05.2018 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	01.04.2014 से 31.03.2017
8	PMKVY (Plumbing) रोकड़ बही	27.06.2018 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	01.04.2014 से 31.03.2017
9	PMKVY (Agriculture) रोकड़ बही	22.05.2018 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	01.04.2014 से 06.04.2017
10	MT Lab (I.RG.S.), रोकड़ बही	01.07.2022 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	-

(ii) Exam रोकड़ बही:-

रोकड़ बही में प्रतिदिन किए गए प्राप्ति एवं व्यय के इन्द्राज पर आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा आद्याक्षर किया जाना आवश्यक है परन्तु Exam रोकड़ बही के प्राप्ति-व्यय पर आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा मई, 2022 से पूर्व नियमित रूप से आद्याक्षर नहीं किया गया था।

नगद एवं बैंक की राशि को अलग-अलग कॉलम में नहीं लिखा/ दर्शाया गया एवं नगद की शेष राशि को लगातार नहीं लिखा जा रहा था। साथ ही लेन-देन नहीं किये गये अवधि को No transaction अवधि को दर्ज नहीं किया गया।

(iii) रोकड़ बही का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना

रोकड़ बही के प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ का सत्यापन का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए परन्तु Exam रोकड़ बही में भौतिक सत्यापन का प्रमाण दर्ज नहीं किया गया था।

(iv) अन्य अनियमितताएं:-

रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अंत में अन्तशेष राशि का विवरणी दर्ज किया जाना आवश्यक है जिससे बैंक खाता में अवशेष राशि एवं रोकड़ बही में अवशेष राशि का मिलन किया जा सके। परन्तु राजकीय पोलिटेकनिक, गया के द्वारा उपलब्ध कराये रोकड़ बहियों में Govt. A/c रोकड़ बही को छोड़कर किसी भी रोकड़ बही में माह के अंत में अन्तशेष राशि की विवरणी दर्ज नहीं किया गया था।

उक्त रोकड़ बहियों का अद्यतन अथवा लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं किये जाने एवं उचित संधारण नहीं किये जाने से संबंधित जवाब में बताया गया कि सभी रोकड़ बही को शीघ्र ही अद्यतन कर लिया जायेगा एवं आगे से पूर्णतः नियमों का पालन किया जायेगा। जवाब के अनुरूप कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परीक्षा रोकड बही के चयनित माह के जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि दिनांक 20.12.2019 को रोकड बही के नगद अंतषेष ₹83995.00 था जबकि दिनांक 21.12.2019 को नगद को प्रारम्भिक शेष के रूप में शून्य दर्ज था। उक्त तिथि को रोकड़ बही का प्रभार अन्य रोकड़ पाल को दिया गया था परंतु प्रभार प्राप्त कर्ता का हस्ताक्षर अंकित नहीं था। इससे राशि के गबन की संभावना है।

पुनः परीक्षा रोकड बही के दिनांक 28.2.2019 को एस0भी0 न0170 एवं आई.आर.जी.एस. रोकड बही के दिनांक के 19.12 2017 को एस0 भी0 न0 163 द्वारा क्रमशः रू. 4555.00 एवं रू. 8000.00 व्यय किया गया जिसका अभिश्रव संचिका में नही पाया गया/लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया जिससे उक्त व्यय किस उदेष्य3 से किया गया, ज्ञात नहीं हो सका।

विकास मद रोकड बही के चयनित माह के अंकगणितीय जाँच के क्रम में पाया गया कि दिनांक 14.11.2016 को पृष्ठ सं0 9 एवं 16 पर क्रमशः कुल व्यय ₹254615.00 एवं ₹196355.00 दर्ज था जबकि वास्तविक व्यय ₹253610.00 एवं ₹196555.00 था।

परीक्षा रोकड बही के नगद अंतशेष 20.12.2019 की स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड बहियों के त्रुटिपुण संधारण व अभिश्रव उपलब्ध नही कराने से संबंधित उत्तर में बतया गया कि दिये गये आपत्ति के आलोक में तथ्यों की जाँच कर इसका रिपोर्ट लेखापरीक्षा को सूचित क्रिया जायेगा। कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका :-09

सन्दर्भ संख्या: OBS-559058

विषय: रोकड़ बही के संधारण में अनियमितताएं

राजकीय पोलिटेकनिक, गया के अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2022 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गये रोकड़ बहियों के अवलोकन के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :-

(i) रोकड़ बही अद्यतन अथवा लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं किया जाना

राजकीय पोलिटेकनिक, गया के लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अवधि के रोकड़ बही अद्यतन अथवा लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उक्त अवधि के लेखाओं की जाँच नहीं की जा सकी।

क्रम सं.	रोकड़ बही	अद्यतन नहीं किए जाने की अवधि	उपलब्ध नहीं कराय जाने की अवधि
1	I.R.G.S. रोकड़ बही	01.02.2022 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	-
2	Hostel रोकड़ बही	01.08.2020 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	01.04.2014 से 09.12.2014
3	Exam रोकड़ बही	18.09.2022 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	01.04.2014 से 06.05.2016
4	Govt. A/c. रोकड़ बही	01.08.2020 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	01.04.2014 से 28.04.2016
5	Development रोकड़ बही	31.07.2020 से लेखापरीक्षा की तिथि तक	-

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कंडिका :-10

सन्दर्भ संख्या: OBS-559302

विषय: मुख्य रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जाना।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियमो तथा Rule 323 and 324 of the Bihar Board Miscellaneous Rules, 1958 provide that it is necessary to maintain item wise subsidiary cash book and a General Cash Book and date wise entry of all transactions shall be recorded in the cashbooks.

राजकीय पालिटेकनिक ,गया के लेखावर्ष अप्रैल 2014 से नवंबर 2022 के लेखापरीक्षा के क्रम में रोकड़ बही के जांच तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए सूची के नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय में वर्तमान में 11 सहायक रोकड़ बहियो का संधारण किया जा रहा था । परंतु कोई मुख्य रोकड़ बही(General Cash Book) का संधारण नहीं हो रहा था । जिस से कुल कितने राशि का आय व्यय हुआ और कितनी रोकड़ बही संधारित की जा रही है यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार एक से अधिक रोकड़ बही के संधारित होने की स्थिति में मुख्य रोकड़ वही संधारित किया जाना आवश्यक है। जिसमें सभी लेन-देन की प्रविष्टि होनी चाहिय। साथ ही अंतशेष का विवरण होना चाहिए। उपर्युक्त नियम का पालन नहीं किए जाने के करणों से संबंधित जवाब में बताया गया कि नियमानुसार मुख्य रोकड़ का संधारण किया जायेगा ।जवाब के अनुरूप कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय ।

कंडिका :- 11

सन्दर्भ संख्या: OBS-559893

विषय: सेवापुस्त का अद्यतन एवं सत्यापित नहीं किया जाना

बिहार सेवा नियामावली के नियम 188 से 129 एवं बिहार वित नियमावली भाग.प् के नियम 101 के अनुसार कार्यालय प्रधान को अपने अधीनस्थ कर्मचारियो का सेवापुस्त संधारित किये जाने का प्रावधान है इसमें कर्मचारियों की सेवापुस्त का सत्यापन प्रतिवर्ष देय वेतन वृद्वि की प्रविष्टि तथा अवकाश लेखे का संधारण किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की सेवापुस्त का प्रति वर्ष कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

राजकीय पोलिटेकनिक गया, के माह अप्रैल 2014 से नबम्बर 2022 के लेखाओ के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गये सेवा सेवापुस्तिकाओं के अवलोकन के क्रम में निम्नलिखित कर्मचारियों का सेवापुस्तिका अद्यतन एवं सत्यापित नहीं पाया गया:-

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक	पदनाम	सेवापुस्त सत्यापन	अद्यतन नही पाया गया
1.	श्री प्रेमनारायण सिंह, कैम्पस प्रभारी सुपरवाइजर	15.11.2019 तक सत्यापित	16.11.2019 से अब तक
2.	श्री राजीव रंजन राजा, नि०व०लिपिक	04.8.2020 तक सत्यापित	5-8-2020 से अब तक
3.	श्री नन्द यादव च०व०क०	30.6.2016 तक सत्यापित	01.7.2016 से अब तक
4.	श्री भोला शर्मा, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	31.7.2020 तक सत्यापित	01.8.2020 से अब तक

उपरोक्त कर्मचारियों का सेवापुस्तिका अद्यतन एवं सत्यापित नहीं किये जाने से संबंधित जवाब में बताया गया कि दिये गये आपत्ति के आलोक में सेवापुस्त का अद्यतन एवं सत्यापन कर लिया जायेगा एवं लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा। कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका :-12

सन्दर्भ संख्या: OBS-560009

विषय: Non-Production of Records

The audit of the office of the Principal, Govt. Polytechnic, Gaya for the period April, 2014 to November, 2022 was conducted. During the test check audit, the following records/files/information was not produced to audit in spite of several verbal and written requests vide requisition no./A.M.G.-II/F.P-12/2022-23/01 dated 21.12.2022 and reminder no./A.M.G.-II/F.P-12/2022-23/01 dated 23.12.2022 and reminder no./A.M.G.-II/F.P-12/2022-23/02 dated 30.12.2022:-

1. Remittance Register.
2. Cheque book counter file (partially provided), Cheque issue register (patially provided), Bank scroll and B.R.S.
3. Money Receipt, Challan and its stock register.
4. Bank Draft and Demand Draft issued register.
5. Register of outstanding Advance, Contingent register (partially provided) and register of un-passed vouchers.
6. Utilisation certificate from 04/2014 to 03/2019.
7. Purchase files (Purchase file of 2021-22 & 2022-23 only provided), Purchase files of machine and tools for laboratories, procurement of good & services files with vouchers.
8. Circular & letters related Guard files and RTI files.
9. Bank advice, office copy of TA, Pay, LTC and Medical Reimbursement Bills and log book of vehicle.
10. Files/records related to All Programme and schemes implemented by Government of Bihar and Government of India.
11. Statement of sanction strength and men in position. (2022-23 only provided)
12. Statement of Allotment and Expenditure from 04/2014 to 03/2019 along with Allotment register and Grant register.
13. Allotment and expenditure of all schemes (scheme-wise).

Scanned with OKEN Scanner

(9)

14. Compliance of Previous Audit Inspection Reports.
15. Physical and financial progress report of construction (civil) work and works agreement register, M.B. and related correspondence file.
16. File related to outsourcing of different services. (only outsourcing of Security Guards from 2018 to 2022 provided)
17. List of AC Bills drawn and pending more than 6 months.
18. Inspection, Monitoring and control of execution different schemes files, minutes of meeting file and Internal Audit reports.
19. Court cases files, if any.

Records/files/information के अप्रस्तुतीकरण के कारणों के सम्बन्ध में बताया गया कि दिये गये आपत्ति के आलोक में आपके द्वारा बताये गये बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पंजियो का संधारण किया जायेगा एवं इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दे दिया जाएगा। कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका :13

सन्दर्भ संख्या: OBS-559251

विषयः स्वीकृत बल की तुलना में कार्यरत बल में काफी कमी।

राजकीय पोलिटेकनिक, गया के अप्रैल, 2014 से नवम्बर, 2022 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गये स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल से संबंधित विवरणी के अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ कि शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत बल काफी कम पाया गया था।

शिक्षक के कुल 43 स्वीकृत पद के विरुद्ध 23 अर्थात् 53.5% पद रिक्त था। इसके अन्तर्गत Computer Science में HoD सहित Lecturer के कुल 07 (1+6) स्वीकृत पद एवं Lecturer (economics) के 01 स्वीकृत पद के विरुद्ध शून्य बल कार्यरत थे।

शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 59 स्वीकृत पद के विरुद्ध 42 अर्थात् 71.2% पद रिक्त था। इसके अन्तर्गत Computer Instructor एवं Dresser-cum-Compounder के क्रमशः 02 एवं 02 स्वीकृत पद के विरुद्ध शून्य बल कार्यरत थे। साथ ही साथ क्लर्क के कुल 08 स्वीकृत पद के विरुद्ध नियमित एवं संविदा दोनों मिलाकर मात्र 02 (1+1) बल कार्यरत थे। इसके अलावे यह पाया गया कि Data Entry Operator के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं था इसके बावजूद इसके विरुद्ध 03 बल कार्यरत थे।

<u>विस्तृत विवरणी</u> निम्नवत है :-

Scanned with OKEN Scanner

MANPOWER DEPLOYMENT (2022-23)

Sl No.	Post	Sanctioned strength (SS)	Person-in-position (PIP)	Contractual appointment, if any	Total Availability including Contractual appointment	Shortfall	Shortfall (%)
1	Principal	1	0	0	0	1	100.0
2	Lecturer (Civil Engg.)	6	3	2	5	1	16.7
3	Lecturer (Elect. Engg.)	5	1	1	2	3	60.0
4	Lecturer (Mech. Engg.)	6	2	3	5	1	16.7
5	Lecturer (EC Engg.)	5	2	1	3	2	40.0
6	Lecturer (C.S. Engg.)	6	0	0	0	6	100.0
7	Lecturer (Physics)	2	0	1	1	1	50.0
8	Lecturer (Chemistry)	1	1	0	1	0	0.0
9	Lecturer (Mathematics)	3	1	0	1	2	66.7
10	Lecturer (Humanities) Economics	1	0	0	0	1	100.0
11	Lecturer (English)	2	0	1	1	1	50.0
12	HoD (Civil Engg.)	1	0	0	0	1	100.0
13	HoD (Elect. Engg.)	1	0	0	0	1	100.0
14	HoD (Mech. Engg.)	1	0	0	0	1	100.0
15	HoD (EC Engg.)	1	1	0	1	0	0.0
16	HoD (C.S. Engg.)	1	0	0	0	1	100.0
	Teaching staff (Total)	**43**	**11**	**9**	**20**	**23**	**53.5**
17	Workshop Superintendent	1	0	0	0	1	100.0
18	System Analyst	1	0	0	0	1	100.0
19	Foreman	2	0	0	0	2	100.0
20	Lab Assistant	2	0	0	0	2	100.0
21	Draftsman	2	0	0	0	2	100.0
22	Instructor	14	0	10	10	4	28.6
23	Head Clerk-cum-Accountant	1	0	0	0	1	100.0
24	Clerk	8	1	1	2	6	75.0
25	Dresser cum Compounder	2	0	0	0	2	100.0
26	Stenographer	1	0	0	0	1	100.0
27	Asst. Librarian	1	0	0	0	1	100.0
28	Computer Programmer	1	0	0	0	1	100.0
29	Computer Instructor	2	0	0	0	2	100.0
30	Class-IV (Office Attendant)	15	5	0	5	10	66.7
31	Sweeper	5	0	0	0	5	100.0
32	Gardener	1	0	0	0	1	100.0
33	Data Entry Operator*	0	0	3	3	-3	-
	Non-Teaching staff (Total)	**59**	**6**	**11**	**17**	**42**	**71.2**

* PIP against zero SS was not considered.

उपरोक्त रिक्तयों के कारण शैक्षिणिक पठन-पाठन के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल में काफी कमी

Scanned with OKEN Scanner

अथवा ज्यादा होने के कारणों एवं रिक्तियों को भरने के लिए किये गये प्रयास के सम्वन्ध में बताया गया कि नियुक्ति सम्बन्धी नीति विभाग स्तर पर होती है । कर्मियों की कमी के सम्वन्ध में लेखापरीक्षा की आपत्ति से विभाग तो सूचित किया जायेगा । जवाव के आलोक में किए गए कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय ।

कंडिका :14

सन्दर्भ संख्या: OBS-559762

विषय: भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के Rule 138.(1) Physical verification of Fixed Assets: The inventory for fixed assets shall ordinarily be maintained at site. Fixed assets should be verified at least once in a year and the outcome of the verification recorded in the corresponding register. Discrepancies, if any, shall be promptly investigated and brought to account.

(2) Verification of Consumables : A physical verification of all the consumable goods and materials should be undertaken at least once in a year and discrepancies, if any, should be recorded in the stock register for appropriate action by the competent authority.

(3) Procedure for verification:(i) Verification shall always be made in the presence of the officer, responsible for the custody of the inventory being verified.

(ii) A certificate of verification alongwith the findings shall be recorded in the stock register.

(iii) Discrepancies, including shortages, damages and unserviceable goods, if any, identified during verification, shall immediately be brought to the notice of the competent authority for taking appropriate action in accordance with provision given in Rule 31 to 35.

Rule 139. Buffer Stock: Depending on the frequency of requirement and quantity thereof as well as the pattern of supply of a consumable material, optimum buffer stock should be determined by the competent authority.

Note: As the inventory carrying cost is an expenditure that does not add value to the material being stocked, a material remaining in stock for over a year shall generally be considered surplus, unless adequate reasons to treat it otherwise exist.

राजकीय पालिटेकनिक ,गया के लेखावर्ष अप्रैल 2014 से नवंबर 2022 के लेखापरीक्षा के क्रम में भंडार पंजी (2018-19 से 2021-22 तक)के नमूना जांच में पाया गया कि भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया था क्योंकि कोई भी सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया । 2018-19 से पूर्व का भंडार पंजी में उपलब्ध सामानों के अवशेष सामाग्री को आगे के भंडार पंजी में नहीं ले जाया गया है ।

कई सामान जैसे mattress 4 पीस , गोदरेज ओपेन रैक , गोदरेज चेयर इत्यादि सामान कई वर्षो से अनुपयोगी रखे थे । इन सामानों का मूल्य भंडार पंजी में अंकित नहीं था । इसके अतिरिक्त भंडार में

पुराने अनुपयोगी पंखे, पुराने टेबुल, पाइप और लोहे के सामान जो पहली नजर में कबाड़ के रूप में नजर आए ।

लेखापरीक्षा को बताया जाय कि

1. भंडार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार क्यों नहीं किया गया था ।

2.2018-19 के पूर्व भंडार पंजी में क्रय सामग्री का मूल्य अंकित क्यों नहीं किया गया था ?

3.वर्तमान भंडार पंजी में पूर्व के भंडार पंजी के सामानो को अग्रेनीत (carried forward) नहीं करने का कारण क्या था ?

उपरोक्त आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार भण्डार पंजी का संधारण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष कराया जायेगा । जवाब के आलोक में कृत कार्यवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय ।

भाग-III

(पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही)

भाग-IV (उत्तम कार्य-प्रणाली)

शून्य

भाग –V (आभार)

Sr. Audit Officer,
AMG-IIVetting-I

Scanned with OKEN Scanner